रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 319] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 1998/भाद्र 3, 1920
No. 319] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 1998/BHADRA 3, 1920

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1998

सा.का.नि. 521 (अ).—कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1998 के निम्नलिखित प्रारूप का जिसे केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के परामर्श से, कीटनाशी निमय, 1971 में और संशोधन करने के लिए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशन किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा,

कोई व्यक्ति जो इन प्रारूप नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव देने में इच्छुक है तो वह उनको केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ इसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण), कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेज सकता है।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 में, दोनों उपनियम (3) और प्रारूप (5) में खंड (v) और शर्त सं० 5 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रम में अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(vi) अनुज्ञप्तिधारक विनिर्माण प्रारंभ होने के तीन मास के भीतर भारतीय मानक ब्यूरो से आई एस आई चिन्ह प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

(vii) कोई भी कीटनाशी आई एस आई चिन्ह प्रमाणपत्र के बिना विक्रय अथवा वितरित नहीं किया जाएगा।"

उक्त नियमों के नियम 10 में,—

(क) उप नियम (4) में खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(iv) यदि अनुज्ञापन अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि कोई विशेष कीटनाशी मनुष्यों, जानवरों या पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो वह कारण अभिलिखित करने और कीटनाशी विश्लेषक को निर्दिष्ट करने के पश्चात् तीस दिन अथवा जब उसे विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त हो, जो भी पहले है, की अवधि के लिए उसके विक्रय को अस्थायी रूप से निषेध कर सकता है।"

(ख) उप नियम (4क) में खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक व्यक्ति अपने कीटनाशी की संक्रिया आरंभ करने अथवा उनके विक्रय, स्टाक करने अथवा उनको विक्रय अथवा वितरण के लिए प्रदर्शन करने की अनुज्ञप्ति मंजूर करने अथवा नवीकरण करने के आवेदन के साथ अपने मालिक का, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व करने का इच्छुक है प्रारूप 6घ में प्रमाणपत्र फाइल करेगा।"

4. उक्त नियमों में नियम 10क में, उपनियम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) तत्पश्चात् ऐसा सभी स्टाक ऐसी पर्यावरण के अनुकूल रीति से नष्ट किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, और उसे पुनर्विनिर्माण के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा ।"

5. उक्त नियमों के नियम 35 में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परिवहन के समय पैकिंग, भंडारण की रीति ।"

6. उक्त नियमों की अनुसूची 1 में प्रारूप 6ग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप 6घ अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्रारूप 6घ

मूल प्रमाण पत्र

नियम (4-क)(i)

विनिर्माता का नाम और पता

मूल प्रमाणपत्र संख्यांक

तारीख

हमारे पास हमारे कारखानों के लिए जो कि नीचे दिए गए हैं कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्तियां है :—

क्रम सं०	विनिर्माण परिसरों का नाम और पता	अनुज्ञप्ति संख्यांक	तारीख---------तक	अनुज्ञापन विधिमान्य	प्राधिकारी का नाम और पता
1	2	3	4	5	6

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ..... ने कीटनाशी नियम, 1971 के उपनियम (1) के अनुसार कीटनाशियों की अनुज्ञप्ति मंजूर करने (फार्म 6/अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने (प्रारूप 7)) बेचने स्टाक या विक्रय या वितरण के लिए उन्हें प्रदर्शित करने के लिए आवेदन किया है। मैं/हम निम्नलिखित कीटनाशियों को..... तालुक/जिला/राज्य में थोक/फुटकर बेचने, स्टाक करने या विक्रय या वितरण के लिए प्रदर्शित करने के लिए उन्हें प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं।

क्रम संख्या	कीटनाशी का सामान्य नाम	कीटनाशी का व्यापार चिन्ह	रजिस्ट्रीकरण	तारीख

प्ररूप 6 के क्रम संख्यांक 5 के अनुसार उपरोक्त व्योहारी निम्नलिखित स्त्रोत/स्त्रोतों से हमारे कीटनाशी अभिप्राप्त करेगा ।

क्रम सं०	स्त्रोत/स्त्रोतों का नाम/के नाम	स्त्रोत/स्त्रोतों का विस्तृत पता	अनुज्ञप्ति संख्यांक और तारीख	अनुज्ञप्ति की----- तक विधि मान्य	उन स्त्रोतों के विस्तृत पते जहां कीटनाशियों का स्टाक किया जाता है
1	2	3	4	5	6

व्यौहारी जिसे यह मूल प्रमाणपत्र जारी किया गया है उपरोक्त लिखित स्त्रोत/स्त्रोतों से हमारे कीटनाशियों को क्रय करेगा और यदि वह उपरोक्त लिखित पतों से भिन्न अन्य स्त्रोतों से हमारे कीटनाशियों का क्रय करता है तो वह कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में होगा ।

यह मूल प्रमाण पत्र ..... तक विधिमान्य है।

तारीख

स्थान

कंपनी की मुद्रा

हस्ताक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

पद नाम

विस्तृत पता

मैं मूल प्रमाण पत्र में दर्शित स्त्रोत/स्त्रोतों से, जिन्हें ऊपर उल्लिखित किया गया है, कीटनाशी अभिप्राप्त करूंगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि उपरोक्त लिखित से अन्य स्त्रोत/स्त्रोतों से इन कीटनाशियों को अभिप्राप्त करता हूं तो वह कीटनाशी अधिनियम 1968 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में होगा।

तारीख : हस्ताक्षर :

स्थान : नाम :

व्यौहारी की मुद्रा : पदनाम :

व्यौहारी की अनुज्ञप्ति : व्यौहारी का पता

संख्या और तारीख :

(यदि अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए जारी की जाती है तो प्रति संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाए)

[फा० सं० 19-3/96-पी पी आई]

पी० डी० सुधाकर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—प्रमुख नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। कृपया सा०का०नि० 1650, दिनांक 11 अक्तूबर, 1971 जिसमें तत्पश्चात् सा०का०नि० 533 (अ), दिनांक 6-8-93 तथा सा०का०नि० 379 (अ) दिनांक 2-7-98 के तहत संशोधन किए गए थे, का अवलोकन करें।"

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 1998

G.S.R. 521 (E).—The following draft of the Insecticides (Amendment) Rules, 1998 further to amend the Insecticides Rules, 1971 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) in consultation with the Central Insecticides Board, are hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of five days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft rules may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture & Co-operation), Krishi Bhawan, New Delhi-110001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, both in sub-rule 3 and in FORM V, after clause (V) and condition number 5, the following shall be inserted in sequence, namely :—

"(vi) The licensee shall obtain ISI Mark Certificate from Bureau of Indian Standard within three months of the commencement of the manufacture.

(vii) No Insecticides shall be sold or distributed without ISI Mark Certification."

3. In the said rules, in rule 10, (a) in sub-rule (4), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iv) if the licensing officer is satisfied that a particular Insecticides is harmful to human beings, animals or environment he may after recording reasons and referring the Insecticides to the Insecticides Analyst, prohibit temporarily the sale for a period of thirty days of till he obtains the report of the Analyst, whichever is earlier."

(b) in sub-rule (4A), for clause (i), the following clause shall be substituted namely :—

"(i) Every person shall alongwith his application for grant or renewal of a licence to undertake operation or shall, stock or exhibit for sale or distribute Insecticides, file a certificate from the principal whom he represents or desires to represent in Form-VI-D."

4. In the said rules, in rule 10A, for sub-rule (b), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(b) All such stocks then shall be disposed of in an environment friendly manner as may be specified from time to time by the Central Government in consultation with the Central Insecticide Board and shall not be used for remanufacture."

5. In the said rules, in rule 35, for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Manner of Packing, Storage while transporting."

6. In the said rules, in SCHEDULE I, after Form VI-C, the following Form VI-D shall be inserted, namely :—

"FORM VI D

PRINCIPAL CERTIFICATE

Rule 10(4-A) (i)

Name and address of the Manufacturer

Principal Certificate No.

Date

We have Insecticide Manufacturing Licences for our factories as given below

Sl. No.	Name & Address of the Manufacturing premises	Licence No.	Date	Valid upto	Name & Address of the Licensing Authority
1	2	3	4	5	6

This is to certify that M/s.----------have applied for grant of Licence (Form VI)/renewal of Licence (Form VII) to sell, stock or exhibit for sale or distribution of insecticides as per sub-rule (1) of rule-10 of the Insecticides Rule, 1971. We authorise them to sell, stock or exhibit for sale or distribution of the following insecticides in Wholesale/Retail in ---------- Taluka/District/State.

Sl. No.	Common Name of insecticide	Trade mark of the insecticide	Registration No.	Date

As per Sr. No. 5 of the Form-VI the above dealer will obtain our insecticides from the following source/sources

Sl. No.	Name of source(s)	Detailed address of the Source(s)	Licence No. & date	Licence valid upto	Detailed address of the premises where source(s) are stocking insecticides
1	2	3	4	5	6

The Dealer to whom this Principal Certificate has been issued will purchase our insecticides from the source/sources stated above and if he purchases our insecticides from sources other than those stated above then it would be a contravention of the Insecticides Act, 1968 and rules made thereunder.

This Principal Certificate is valid upto----------.

Date :

Place :

Company's Seal

Signature (Authorised signatory)

Designation :

Detailed Address :

I shall obtain the insecticides shown in the Principal Certificate from the source/sources which are stated above. I am aware that if, I obtain these insecticides from source/sources other than those stated above, this would be contravention of the Insecticides Act, 1968 and Rules made thereunder.

Date :

Place :

Dealer's Seal

Signature :

Name :

Designation :

Address of the Dealer :

Dealers Licence
No. & Date

(If issued for Renewal of Licence)

Copy submitted to the concerned Licensing Authority."

[F. No. 19-3/96-PP.I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, vide number GSR 1650, dated 11th October, 1971 and subsequently amended vide GSR 533(E) dated 6-8-1993, and GSR 379(E) dated 2-7-98.

2255 GI/98-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.